[illegible] के माध्यम [illegible] 21/5/14 को पेश की

पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीगोद से इस न्यायालय में हस्तान्तरण होकर प्राप्त हुई। पत्रावली दर्ज रजि. की जाकर दिनांक 21/5/14 को पेश हो।

3/7/14 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप/पत्रावली वास्ते पेश करने तलबाना कि 50 प्रार्थीगण बाद नगीना बाई के दि० 27.11.14 को पेश हो।

27/11/14 पत्रावली पेशी वकील पक्षकारान हाजिर। प्रार्थीगण ने समझौते हेतु 20/12 मे कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सीगोद में पेश होने हेतु पत्रावली [illegible] में रखी जाकर की कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से इसी स्टेज पर कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सीगोद की पत्रावली में पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नकल सिक्का की जाकी राशि से वापसा [illegible]

उपखण्ड अधिकारी
रूपनवास (कोटा)